राजस्व वाद 185/202019
गुठाराम बनाम कैलाश वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 185/2019

वादीगण –
1. गुठाराम पुत्र पुरखाराम
2. अर्जुनराम पुत्र पुरखाराम
   जाति–जाट, निवासीगण–नराधना, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. कैलाश पुत्र पुरखाराम
2. इन्द्रा पुत्री पुरखाराम
3. रामप्यारी पत्नि पुरखाराम
   जातियान–जाट निवासीगण–नराधना तहसील–जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955
उपस्थिति :–
1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 09/2/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सगे भाई जिनके बडेर के खेत मौजा नराधना तहसील जायल में खसरा नं. 290 रकबा 6.03 बीघा व खसरा नं. 843 रकबा 19 बीघा के रूप में स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से ड़) के अनुसार कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद मय नजरी नक्शा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

09/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार ने वकालात नामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किये गये। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वाद पत्र के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह गुठाराम पुत्र पुरखाराम व कैलाश पुत्र पुरखाराम के शपथ पत्र के पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। नकल जमाबन्दी समवत् 2068–2071 नया खाता संख्या 177 प्रदर्श–1 पेश की। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिया जवाब दावा के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा ग्राम नराधना़ तहसील–जायल के खसरा नं. 290 रकबा 6.03 बीघा व खसरा नं. 843 रकबा 19 बीघा भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा वाद पत्र को माफिक नजरी नक्शानुसार डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय को वादपत्र के पैरा संख्या 3 मय नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब का अवलोकन किया तथा वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि पर मनन किया गया। बंटवाडे के वादपत्र में पुश्तैनी भूमि तथा सहखातेदार के मध्य में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है तथा जमाबंदी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व

09/04/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण में नकल जमाबंदी जिसमें पुरखाराम पुत्र रूघाराम खातेदार के स्थान पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 1402/20.03.2017 के पक्षकारान् का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ है। जिसके यह स्पष्ट है कि मुतदाविया खेत खसरा नं. 290 व 843 की भूमि पुश्तैनी तथा पक्षकारान हिस्से के साथ सहखातेदार दर्ज है। वादपत्र में प्रस्तुत इकबालिया जवाब तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ग) के अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 290 रकबा 6.03 बीघा व खसरा नं. 843 रकबा 19 बीघा ग्राम नराधना तहसील जायल की भूमि का हिस्सा विशेष का बंटवारा चाहा जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने से है। दिनांक 03.11.2020 को वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री के आदेश पारीत किये गये।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 03.11.2020 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 319 दिनांक 19.01.2021 प्राप्त हुआ, जिसपर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, मौके पर बंटवारा प्रस्ताव हेतु मौके पर से वादी संख्या 1 व 2 स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि उपस्थित रही है, तथा प्रतिवादी संख्या 2 मौके पर अनुपस्थित रही। मौके पर उपस्थित पक्षकारान् ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। चूंकि बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्रा का हक हिस्सा नहीं रखा है जिससे मामला भूमि में से हक हिस्सा अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना आवश्यक है।

— : : आदेश : : —

1. वादी गुठाराम के हक बंट एवं खातेदारी मे मौजा नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 290 में से 0.4856 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नं. 843 में से 0.7932 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

09/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. वादी अुर्जनराम के हक बंट एवं खातेदारी मे मौजा नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 290 में से 0.4856 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नं. 843 में से 0.7932 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी कैलाश के हक बंट एवं खातेदारी मे मौजा नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 843 में से 1.4568 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. वादी गुठाराम, अर्जुनराम व प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती ग्राम नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 290 में से रास्ता हेतु 0.0243 हैक्टैयर तथा खसरा नं. 843 में से 0.0324 हैक्टैयर भूमि नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित किया जाता है।
5. तहसीलदार जायल प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्रा का मुतदाविया खेतायों की भूमि में से हक हिस्सा अन्तरण के लिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 19.01.2021 (पी.डी.) निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

09/02/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 185 / 2019

वादीगण –

1. गुठाराम पुत्र पुरखाराम
2. अर्जुनराम पुत्र पुरखाराम जाति–जाट, निवासीगण–नराधना, तहसील–जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. कैलाश पुत्र पुरखाराम
2. इन्द्रा पुत्री पुरखाराम
3. रामप्यारी पत्नि पुरखाराम जातियान–जाट निवासीगण–नराधना तहसील–जायल
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर तिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी गुठाराम के हक बंट एवं खातेदारी मे मौजा नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 290 में से 0.4856 हैक्टेयर पश्चिमी भाग, खसरा नं. 843 में से 0. 7932 हैक्टैयर दक्षिणी भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी अुर्जनराम के हक बंट एवं खातेदारी मे मौजा नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 290 में से 0.4856 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नं. 843 में से 0.7932 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी कैलाश के हक बंट एवं खातेदारी मे मौजा नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 843 में से 1.4568 हैक्टैयर मध्य भाग माफिक पीडी प्रस्ताव में संलग्न नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. वादी गुठाराम, अर्जुनराम व प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती ग्राम नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 290 में से रास्ता हेतु 0.0243 हैक्टैयर तथा

09/04/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

खसरा नं. 843 में से 0.0324 हैक्टैयर भूमि नजरी नक्शानुसार रास्ता घोषित किया जाता है।

5. तहसीलदार जायल प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्रा का मुतदाविया खेतायों की भूमि में से हक हिस्सा अन्तरण के लिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 19.01.2021 (पी.डी.) निर्णय आदेश का भाग रहेगा।

09/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/02/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

09/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)